पत्र प्राप्ति T.Dy. दि0 27/8/18
डायरी सं0 535 कम्प्यूट्राईजेशन खण्ड
दिनांक 27/8/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 10594 एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम–22 / 2010   दिनांकः 16/08/2018

कार्यालय–ज्ञाप

मेसर्स एवरग्रीन इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, 2/32, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का लो0नि0वि0, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–3061एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–22 / 10, दिनांक–19.05.2010 एवं अन्तिम नवीनीकरण पत्र सं0–10962एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 54एम0–22 / 10, दिनांक–21.12.2015 द्वारा दिनांक–30.06.2018 के लिए किया गया था। उक्त कम्पनी में दो निदेशक 1. श्री मो0 नईम उल्ला फौजी, 2. श्रीमती सोनी कौर है।

जनपद पीलीभीत में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत बरेली–बीसलपुर मार्ग के किमी0 27 से 41(800) तक कुल 14.80 किमी0 के भाग में केन्द्रीय मार्ग निधि वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराए जाने हेतु अनुबन्ध सं0–13 / एस0ई0–बी0डी0एन0–पी0बी0टी0 / 2016–17, दिनांक–19.05.2016, जिसमें कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 19.05.2016 तथा समाप्ति की तिथि 18.11.2016 निर्धारित थी। मेसर्स एवरग्रीन इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, 2/32, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा अब तक उच्चीकरण के अन्तर्गत डी0बी0एम0 स्तर तक 3.4 किमी0 डब्लू0एम0एम0 तक 4 किमी0 तथा चौड़ीकरण के अन्तर्गत जी0एस0बी0 का कार्य अनुबन्धित अवधि में कुल 9 किमी0 में ही कराया गया है तथा वर्तमान में कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। कार्य की प्रगति को लक्षित अवधि में पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 पीलीभीत के पत्रांक–953 / 1सी, दि0–10.08.2016, पत्रांक–975 / 1सी, दि0–16.08.2016, पत्रांक–1128 / सी.बी.–13, दि0–22.09.2016, पत्रांक–1168 / सी.बी., दिनांक–30.09.2016, पत्रांक–451 / 1 / सीबी–13, दिनांक– 19.01.2016, पत्रांक–1437 / सी0बी0–13, दिनांक–08.12.2016, पत्रांक–1533 / सी0बी0–13, दिनांक–27.12.2016, पत्रांक–1571 / सी0बी0, दि0–31.12.2016, पत्रांक–30 / सी0बी0–13, दि0–06.10.2017 एवं पत्रांक–1007 / 1सी, दिनांक–01.08.2017 एवं पत्रांक–1044 / 1सी, दिनांक–17.08.2017, पत्रांक–1214 / 1सी, दि0–14.09.2017 एवं पत्रांक–1236 / 1सी, दि0–21.09.2017, एवं पत्रांक–1386 / 1सी, दि0–02.11.2017 व अधीक्षण अभियन्ता, बदायूँ / पीलीभीत वृत्त, लो0नि0वि0 बरेली के पत्रांक–5435 / 533सी–08 / 16, दिनांक–17.08.2016, पत्रांक–7663 / कैम्प–नि0–08 / 16, दिनांक–30.11.2016 व निरीक्षण टिप्पणी पत्र सं0–7195 / कैम्प–नि.टि.–08 / 17 दिनांक–30.11.2017 तथा मुख्य अभियन्ता, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0 बरेली की निरीक्षण टिप्पणी पत्र सं0–1292 / सी0ई0कैम्प–नि.टि.–उपक्षे / 17, दिनांक–17.03.2017 व पत्र सं0–6985 / सी0ई0कैम्प–नि.टि.–उपक्षे / 17, दिनांक–22.11.2017 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 पीलीभीत के पत्रांक–1561 / 1सी, दिनांक–11.12.2017, पत्रांक–1586 / 1सी, दिनांक–20.12.2017 तथा पत्रांक–1596 / 1सी, दिनांक–22.12.2017, पत्रांक–05 / 1सी, दिनांक–02.01.2018 एवं पत्रांक–70 / 1सी, दिनांक–18.01.2018 द्वारा समय–समय पर अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर कार्य की प्रगति बढ़ाने व निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये किन्तु इसमें मेसर्स एवरग्रीन इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, 2/32, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा कोई प्रभावी सुधार नहीं किया गया जिसके कारण धीमी प्रगति से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश रहा एवम् यातायात का लाभ जनमानस को प्राप्त नहीं हो सका। उक्त कृत के लिए इस कार्यालय के पत्रांक–

क्रमशः पेज–2

2438 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–22/10, दिनांक–23.03.2018 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जिसका उत्तर सम्बन्धित कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक–09.04.2018 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षण कारण बताओ नोटिस उपलब्ध अभिलेखा, प्राविधानों एवं संविदा की शर्तों के परिपेक्ष्य में किया, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं कारित किये जाने की पुष्टि होती है :–

1. अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 19.05.2016 व कार्य समाप्त की तिथि 11.11.2016 थी। शासन द्वारा अनुबन्धित कार्य हेतु **माह 08/2016 में 117.81 लाख का आवंटन किया गया था। अस्तु** कम्पनी का यह कथन कि लगभग 07 माह बाद आवंटन प्राप्त हुआ मान्य नहीं है। विभाग द्वारा अनुबन्धित कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु समय–समय पर फर्म को नोटिस प्रोषित किये गये, परन्तु कम्पनी कार्य की प्रगति बढ़ाने की दिशा में कोई सक्रियता नहीं बरती गयी।
2. अनुबंध के प्रस्तर 26.5 के अनुसार ठेकेदार को वेरियेशन के कारण पुनरीक्षित वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाना था। अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस हेतु पत्रांक दिनांक–08.12.16, 27.12.2016, 22.09.16, 30.09.16, 06.01.17, 01.08.17, 17.08.17, 14.09.17, 21.09.17, 22.09.17 कम्पनी को प्रेषित किसे गये थे किन्तु कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया
3. माह दिसम्बर 2016 तक फर्म द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु ट्रन्च खौदकर बिना साईन बोर्ड/काशन बोर्ड के जी.एस.बी. का कार्य बहुत धीमी गति से प्रारम्भ किया गया थां तथा मार्ग को लगभग 2 से 3 किमी0 लम्बाई में एक साईड को खोंद दिया गया था। बैरियर/ कासन बोर्ड का प्रयोग भी नहीं किया गया। जबकि अनुबन्ध के **प्रस्तर–19 के अनुसार कार्य स्थल पर सरुक्षा हेतु ठेकेदार की जिम्मेदारी है। जो दायित्व निर्वहन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था।**
4. कार्य सम्पादन हेतु सामग्री/मशीन व लेवर का नियोजन करने का दायित्व ठेकेदार का है। जो दायित्व निर्वहन कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था।
5. अनुबन्धित कार्य की नियोजित करने का दायित्व कम्पनी का था किन्तु व्यक्तिगत विशेष के अस्वस्थ हो जाने पर उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबन्ध करना चाहिए था
6. कम्पनी द्वारा वर्तमान तक अनुबन्ध के सापेक्ष केवल 10 किमी0 लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य ही कराया जा सका है। इस चौड़ीकृत भाग में से 5.5 किमी0 लम्बाई में डी.बी.एम. स्तर तक कार्य पूर्ण कराया गया है तथा 3.2 किमी0 लम्बाई में डब्लू.एम.एम. की प्रथम लेयर में बड़े–बड़े गड्ढ़े हो गये एवं जगह–जगह से उखड गये है। कार्य 30 जून 2018 के पश्चात भी अपूर्ण है। कम्पनी द्वारा अपने उत्तर में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये औचित्यपूर्ण नहीं है।

यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कम्पनी द्वारा गत महीनों से पूर्णतया कार्य बन्द कर दिया गया है। फर्म को बार–बार निर्देशित करने के बावजूद भी कार्य की प्रगति नहीं बढ़ाई गयी है। जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनता की शिकायतों व यातायात से होने वाली असुविधा से दिनांक–12.07.2018 को स्थानीय जनता द्वारा इस मार्ग पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। कम्पनी का यह कृत्य अनुबन्ध की शर्तों के पैरा–52.2 के अन्तर्गत Fundamental breach of contract की श्रेणी में आता है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कम्पनी द्वारा दिया गया उत्तर बलहीन है तथा Fundamental breach of contract की स्पष्ट पुष्टि होती है।

क्रमशः पेज–3

अतः शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/27–पी0डब्लू0–41एम0एस0/1954, दिनांक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362एम0टी0जी0/एफ–68, दिनांक–08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) एवं उपर्युक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23 सा0नि0अनु(7), दिनांक–02.12.74 के अन्तर्गत **मेसर्स एवरग्रीन इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, 2/32, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ एवं उसके निदेशकों श्री मो0 नईम उल्ला फौजी, एवं श्रीमती सोनी कौर** को अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए काली सूची (Black List) में डाले जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किए जाते हैं।

ह0/–

(आर0ए0 शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0 एस0 वाई0, सेतु/वाहृय सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
3. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, बरेील क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–14.08.2018 के संदर्भ में।
5. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, बदायूँ/पीलीभीत वृत्त, लो0नि0वि0 बरेली ।
9. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्टयूराइज्ड सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड.1, लो0नि0वि, पीलीभीत को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

पंजीकृत 11. मेसर्स एवरग्रीन इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0, 2/32, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

16/8/2018

(सन्तोष कुमार–2)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
16/08/2018 लो0नि0वि0 लखनऊ